पत्रांक–3/एम० 7/2005 का०–9451/

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री जी०एस० कंग,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक–24-6-

विषय : सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त बेनामी एवं छद्मनामी परिवाद–पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–16514, दिनांक–05.12.1980, पत्रांक–13830, दिनांक–14.12.1989 तथा पत्रांक–2451, दिनांक–23.03.2005 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि पत्रांक 16514, दिनांक–05.12.1980 के अन्तर्गत यह उल्लेख है कि अनाम, बेनामी, छद्मनामी आवेदनपत्रों पर कार्रवाई नहीं की जायेगी तथा पदाधिकारियों के विरूद्ध बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित खुलापत्र और पम्फलेटों पर भी कार्रवाई नहीं की जायेगी । जहाँ परिवाद पत्र हस्ताक्षरित होंगे और आरोप विशिष्ट प्रकृति के होंगे तथा परिवादी का पता लगाया जाना संभव होगा, वहाँ भी परिवादी को तुरंत बुलाकर या उनसे सम्पर्क स्थापित कर जान लेना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा लाये गये आरोपों के संबंध में उन्हें क्या कहना है और परिवाद के संबंध में वे किस प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे । इसके बाद ही समीक्षोपरान्त सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जाँच की प्रक्रिया आरम्भ की जाय । इसके पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाय अथवा नहीं, यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करेगा ।

2. परन्तु, उपर्युक्त प्रकार से कार्रवाई के उपरान्त भी सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्तरदायी सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्रायः दुर्भावना, प्रतिशोध और उन्हें हतोत्साहित करने के उद्देश्य से किये गये परिवादपत्र जाँचोपरान्त बेबुनियाद एवं निराधार पाये जाते रहे हैं । ऐसी स्थिति में पत्रांक–13830, दिनांक–14.12.1989 के अन्तर्गत सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया कि

आयुक्त एवं सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
का ... अकोष्ठ
डायरी संख्या ....
दिनांक ....